C.L. 10031 UDC

आयकर सम्बन्धी जानकारी

वाचस्पति शर्मा

कर निर्धारण वर्ष (Assessment year) - इसका तात्पर्य उस अवधि से है जो 1 अप्रेल से आरम्भ होती है और अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होती है। उदाहरण- आगामी कर निर्धारण वर्ष 2020-2021 जो 1 अप्रेल 2020 से प्रारम्भ होगा तथा दिनांक 31 मार्च, 2021 को समाप्त होगा। करदाता की वर्ष 2019-2020 की आय पर आगामी कर निर्धारण वर्ष 2020-2021 में वित्त अधिनियम के द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार कर लगाया जाता है।

वित्तीय वर्ष (Financial year) - जिस वर्ष में आय अर्जित की जाती है उस वर्ष को वित्तीय वर्ष के रूप में जाना जाता है।

सकल कुल आय (Gross Total Income) (कर व कटौतियों से पूर्व) - वेतन, मकान सम्पत्ति से आय, व्यवसाय अथवा पेशे के लाभ अथवा अभिलाभ, पूँजीगत लाभ, अन्य स्रोतों से आय के योग को समस्त स्रोतों से आय यथा सकल कुल आय कहा जाता है।

कुल आय (Total Income) - करदाता की सकल कुल आय में से धारा 80C से 80U के अन्तर्गत स्वीकृत कटौती को घटाने के पश्चात् शेष राशि को कुल आय कहते हैं।

वेतन शीर्षक के अन्तर्गत वेतन भोगी करदाता के लिये आयकर गणना

वेतन (Salary) - वेतन शब्द से अभिप्राय मूल वेतन, ग्रेड वेतन, महंगाई वेतन, अग्रिम वेतन, बकाया वेतन, नवीन पेंशन योजना में सरकार का अंशदान, अवकाश वेतन, बोनस, फीस, कमीशन, विशेष वेतन, नोटिस वेतन, पेंशन व निर्वाह भत्ते से है।

कर योग्य भत्ते (Taxable Allowances) - महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता*, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, प्रतिनियुक्ति भत्ता, अन्तरिम राहत, परियोजना भत्ता, ग्रामीण भत्ता, नॉन प्रेक्टिसिंग भत्ता, पर्वतीय भत्ता, दोहरा प्रबन्धन भत्ता, नौकर भत्ता, सत्कार भत्ता, अधिसमय कार्य भत्ता या मानदेय, स्थायी चिकित्सा भत्ता, जलपान भत्ता, वार्डन के रूप में भत्ता।

*कुछ परिस्थिति में कर मुक्त भी है।

नोट - उच्च न्यायालय व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दिया जाने वाला सत्कार भत्ता कर योग्य नहीं है।

कर मुक्त भत्ते (Tax Free Allowances) - यात्रा भत्ता, दैनिक भत्ता, वाहन भत्ता, अनुसंधान भत्ता, वर्दी भत्ता, सेवानिवृति पर उपार्जित अवकाश का नक़दीकरण, एल.टी.सी. पुरस्कार, सहायक रखने हेतु भत्ता, बाल शैक्षणिक भत्ता (प्रत्येक बच्चे के लिये कर मुक्त राशि 100 रु. प्रतिमाह है तथा अधिकतम रूप से यह भत्ता दो बच्चों के लिये कर मुक्त हो सकता है।) (राजस्थान सरकार के कर्मचारियों को एल.टी.सी. भत्ता देय नहीं है।)

उपादान (Gratuity) -सरकारी कर्मचारी के मामले में ग्रेच्यूटी 20 लाख रू. की सीमा तक धारा 10(10)(i) में पूर्णतः कर मुक्त है तथा **पेंशन का सारांशित मूल्य (Cummuted Value of Pension)** धारा 10(10A)(i) में पूर्णतः कर मुक्त है।

स्वेच्छिक सेवानिवृति योजना (V.R.S.) - इस योजना के तहत स्वेच्छिक सेवानिवृति ग्रहण करने/सेवा समाप्ति पर प्राप्त राशि/प्राप्त करने योग्य राशि/किस्तों में प्राप्त राशि/किश्तों में प्राप्त योग्य राशि धारा 10(10C) के अनुसार अधिकतम 5 लाख रु. तक की आय पर आयकर राहत प्राप्त कर सकता है लेकिन 10 (10C) में लाभ प्राप्त करने के पश्चात् धारा 89(i) के तहत आयकर राहत नहीं मिलेगी। (धारा 17v)

वाहन भत्ता (Conveyance Allowance) - कार्यालय के कर्तव्य पालन के लिये किये गयें खर्च की सीमा तक वाहन भत्ता कर मुक्त है। (धारा 10(14))

गैर स्वीकृत अस्पतालों में हुए चिकित्सकीय खर्चों की प्रतिपूर्ति कर योग्य - ऐसे अस्पताल जो सरकार या नियोक्ता द्वारा स्वीकृत न हो, में हुए चिकित्सकीय खर्चों की प्रतिपूर्ति कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से कर योग्य होगी। (धारा 17v)

मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance) - यदि कर्मचारी स्वयं के मकान में रहता है अथवा वह जिस मकान में रह रहा है उसके लिये कोई भी राशि किराये के रूप में नहीं दी जा रही है तो कर्मचारी को मिलने वाला मकान किराया भत्ता पूर्णतः कर योग्य होगा। [See 10(13A)]

यदि कर्मचारी मकान मालिक को 1 लाख रुपये से अधिक के किराये का भुगतान करता है तो उसे मकान मालिक का PAN देना अनिवार्य होगा।

(परिपत्र क्रमांक 08/2013 दिनांक 10.10.2013)

नोट : 3000 रु. तक मकान किराया भत्ता प्राप्त करने वाले कर्मचारी मकान किराया भुगतान रसीद प्रस्तुत करने से मुक्त रहेंगे।

यदि कर्मचारी किराये के मकान में रहता है तो उसे निम्न में से जो भी कम हो के बराबर मकान किराया भत्ते में छूट दी जायेगीः

(i) वास्तविक मकान किराये भत्ते की प्राप्त राशि

(ii) वार्षिक वेतन के 10% से अधिक किराये के रूप में व्यय की गई राशि अर्थात् चुकाया गया वार्षिक किराया - **वेतन का 10%**

(iii) वेतन का 50% यदि कर्मचारी चैन्नई, मुम्बई, कोलकत्ता, दिल्ली सहित सभी मेट्रो शहरों में है तथा अन्य स्थानों पर - **वेतन का 40%**

मकान किराया भत्ते के प्रयोजन के लिये वेतन से आशय = मूल वेतन + ग्रेड वेतन + महंगाई भत्ता से है।

नोट : मकान किराये की छूट के साथ-साथ मकान ऋण के मूल ऋण राशि का भुगतान एवं ब्याज की राशि पर भी छूट ली जा सकेगी यदि कर्मचारी अपना स्वयं का मकान किराये पर दिया हो या उसकी नियुक्ति अन्य स्थान पर हो।

धारा 24 के अन्तर्गत मकान ऋण ब्याज पर कटौतीः

स्वयं के रहने के मकान के सम्बन्ध में मकान बनाने, मरम्मत कराने, क्रय करने हेतु लिये गये ऋण के ब्याज के सम्बन्ध में निम्न प्रकार छूट देय होगी :-

(i) 1.4.99 से पूर्व प्राप्त ऋण पर ब्याज के सम्बन्ध में 30,000 रु.

(ii) 1.4.99 को या उसके पश्चात् प्राप्त किये गये ऋण के ब्याज की अधिकतम कटौती -

(a) यदि ऋण मकान बनाने या खरीदने के लिये लिया है तो - 2,00,000 रु.

(b) यदि ऋण मरम्मत पुनर्निर्माण के लिये लिया है 30,000 रु.

Scanned by CamScanner

C.L. SONI

यदि स्वयं के निवास हेतु कोई मकान सम्पत्ति का निर्माण अथवा खरीद 1.4.99 अथवा इस तिथि के पश्चात् उधार ली गई पूंजी से करवाया गया है तो उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में ब्याज की 2.00 लाख रु. की छूट इसी दशा में स्वीकृत होगी कि उक्त मकान सम्पत्ति पूंजी उधार लेने वाले वर्ष के अन्त से अगले पांच वित्तीय वर्षों में निर्मित हो गई हो अथवा खरीद ली गई हो अन्यथा कटौती सीमा 30000 रु. रहेगी। धारा (24b)

साथ ही उक्त छूट प्राप्त करने के लिये ऋणदाता से इस आशय का प्रमाण पत्र भी लेना होगा कि उक्त ऋण मकान, सम्पत्ति के निर्माण अथवा खरीद अथवा इसी उद्देश्य के लिये पूर्व में लिए गये ऋण के पुनर्भुगतान हेतु दिया गया है।

हाउसिंग लोन पर निर्मित मकान से पूर्व का ब्याज - मकान का निर्माण पूरा होने के बाद निर्माण होने तक के ब्याज की छूट 5 वार्षिक किस्तों में निर्माण पूर्ण होने वाले वर्ष से प्रारम्भ होकर 5 वर्षों तक प्राप्त होगी। इसके साथ वार्षिक ब्याज की छूट भी साथ ही प्राप्त होगी। कुल ब्याज की छूट 2.00 लाख रु. से अधिक प्राप्त नहीं होगी (केवल self occupied के विषय में लागू)

नवीन पेंशन योजना - 1 जनवरी 2004 से लागू इस योजना में नव नियुक्त केन्द्र/राज्य कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली सभी तरह की आय धारा 10 (44) के अन्तर्गत आयकर से मुक्त होगी।

मानक कटौती (Standard Deduction) - कर निर्धारण वर्ष 2020-21 से वेतनभोगी कर्मचारियों को मानक कटौती 50000 रु. धारा 16 के तहत प्राप्त होगी। (धारा 16(ia)

सकल कुल आय में से कटौतियां (Deduction from Gross Total Income (Sec 80C) -

यह छूट केवल व्यक्ति या अविभाजित हिन्दू परिवार को सकल कुल आय (Gross Total Income) में से निम्न मान्य विनियोग (Qualifying Investment) पर कर निर्धारण वर्ष 2020-21 से 1.50 लाख रु. की सीमा तक मिलेगी।

Nature of payment

1. Life Insurance premium (including payment made by Government employees to the Central Government Employees' insurance scheme and payment made by a person under children's deferred endowment assurance policy) [*see* Note 1]
2. Payment in respect of non-commutable deferred annuity[*see* Note 2]
3. Any sum deducted from salary payable to a Government employee for the purpose of securing him a deferred annuity (subject to a maximum of 20 per cent of salary)[*see* Note 3]
4. Contribution (not being repayment of loan) towards statutory provident fund and recognised provident fund
5. Contribution (not being repayment of loan) towards 15 year public provident fund [*see* Notes 4, 6 and 11]
6. Contribution towards an approved *superannuation fund*
7. Subscription to National Savings Certificates (VIII Issue and IX Issue) and deposit in Sukanya Samriddhi Account [*see* Note 12]
8. Contribution for participating in the unit-linked insurance plan (ULIP) of Unit Trust of India [*see* Note 5]
9. Contribution for participating in the unit-linked insurance plan (ULIP) of LIC Mutual Fund (i.e., formerly known as Dhanraksha plan of LIC Mutual Fund)[*see* Note 5]
10. Payment for notified annuity plan of LIC (i.e., Jeevan Dhara and Jeevan Akshay) or any other insurer (i.e., Immediate Annuity Plan of ICICI Prudential Life Insurance Company, Tata AIG Easy Retire Annity Plan of Tata AIG Life Insurance Company)
11. Subscription towards notified units of Mutual Fund or UTI
12. Contribution to notified pension fund set up by Mutual Fund or UTI (i.e., Retirement Benefit Unit Scheme of UTI, Kothari Pioneer Pension Plan of Kothari Mutual Fund and Reliance Retirement Fund)
13. Any sum paid (including accrued interest) as subscription to Home Loan Account Scheme of the National Hosuing Bank or contribution to any notified deposit scheme pension fund set up by the National Housing Bank[83].
14. Any sum paid as subscription to any scheme of -
    a. public sector company engaged in providing long-term finance for purchase/ contribution of residential houses in India (i.e., public deposit scheme of HUDCO);
    b. housing board constituted in India for the purpose of planning, development or improvement of cities/towns.
15. Any sum paid as tuition fees (not including any payment towards development fees/donation/ payment of similar nature) whether at the time of admission or otherwise to any university/ college/education institution in India for full time education of any two children of an individual[*see* Note 10]
16. Any instalment or part payment towards the cost of purchase/contrbution of a residential property to a housing board or co-operative society (or

Scanned by CamScanner

C. L. Sons

repayment of housing loan taken from Government bank, cooperative bank, LIC, National Housing Bank, assessee's employer where such employer is public company/public sector company/university/cooperative society) [*see* Note 9]

17. Amount invested in approved debentures of, and equity shares in, a public company engaged in infrastructure including power sector or units of a mutual fund proceeds of which are utilised for the developing, maintaining, etc, of a new infrastructure facility
18. Amount deposited in a fixed deposit for 5 years or more with a scheduled bank in accordance with a scheme framed and notified by the Central Government (applicable from the assessment year 2007-08) (it shall be a minimum of Rs. 100 or multiple thereof).
19. Subscription to any notified bonds of National Bank for Agriculture and Rural Development (i.e., the NABARD Rural Development Banks of NABARD) (applicable from the assessment year 2008-09).
20. Amount deposited under Senior Citizens Saving Scheme (applicable from the assessment year 2008-09)[Note 11].
21. Amount deposited in Five Year Time Deposit Scheme in post office (applicable from the assessment year 2008-09)[Note 11]
22. Amount contributed (for a fixed period of not less than 3 years) by a Central Government employee to his NPS (Tier-II) account (applicable from the assessment year 2020-21).

	Policy on the life of a person with disability or severe disability or on the life of a person suffering from disease or ailment as given on section 80DDB	Policy on the life any other person
- if policy is issued before April 1, 2012	20% of sum assured	20% of sum assured
- if policy is issued during 2012-13	10% of sum assured	10% of sum assured
- if policy is issued on or before April 1, 2013	15% of sum assured	10% of sum assured

राष्ट्रीय बचत पत्र पर उपार्जित ब्याज की दर तालिका

राशि 100 रु. के राष्ट्रीय बचत पत्र पर प्राप्त होने वाला ब्याज

When NSC was purchased							
The year for which interest accrues	During April 1, 2016 and Sept. 30, 2016	During Oct. 1, 2016 and March 31, 2017	During April 1, 2017 and June 30, 2017	During July 1, 2017 and Dec. 31, 2017	During Jan. 1, 2018 and Sept. 30, 2018	During Oct. 1, 2018 and June 30, 2019	During July 1, 2019 and Sept. 30, 2019
1st Yr	8.10	8.00	7.90	7.80	7.60	8.00	7.90
2nd Yr	8.76	8.64	8.52	8.41	8.18	8.64	8.52
3rd Yr	9.46	9.33	9.20	9.06	8.80	9.33	9.20
4th Yr	10.23	10.08	9.92	9.77	9.47	10.08	9.92
5th Yr	11.06	10.88	10.71	10.53	10.19	10.88	10.71
6th Yr	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*	*NA*

सकल कुल आय में से अन्य कटौतिया (धारा 80CCC से 80U)

(i) कुछ पेंशन निधियों में किये गये अंशदान की कटौतियाँ- भारतीय जीवन बीमा निगम व अन्य जीवन बीमा कम्पनियों की वार्षिक योजना (Anuity Plan) में किया गया अंशदान की राशि कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से अधिकतम 1.50 लाख की कटौती स्वीकार्य होगी। यह कटौती व्यक्ति (Individual) को ही दी गई है तथा इस राशि के सम्बन्ध में धारा 88 के अन्तर्गत कोई कर राहत प्राप्त नहीं होगी। (धारा 80CCC)

नवीन पेंशन योजना में किये गये 10% अंशदान के लिये कटौती - 1 जनवरी 2004 को या इसके पश्चात् केन्द्र/राज्य सरकार की सेवा में भर्ती होने वाले कर्मचारियों द्वारा योजना में दिये गये अंशदान पर निम्न प्रकार कटौती स्वीकार होगी -

कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से कर्मचारी द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना में किये गये 10% अंशदान की राशि पर अधिकतम 1.50 लाख रु. तक कटौती स्वीकार्य होगी।

स्वनियोजित व्यक्ति पर नवीन अंशदायी पेंशन योजना में सकल कुल आय के 20% अंशदान तक अधिकतम 1.50 लाख रु. तक कटौती स्वीकार होगी। धारा 80CCD(1)

कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से किसी व्यक्ति करदाता द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना में 50,000 रु. की सीमा तक अतिरिक्त अंशदान राशि पर कटौती स्वीकार्य होगी। यह राशि 80 CCE की 1.50 लाख रुपये की कटौती की अधिकतम सीमा के अतिरिक्त होगी। धारा 80CCD(1B)

केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा नवीन अंशदायी पेंशन योजना में किये गये क्रमशः 14% एवं 10% अंशदान की राशि पर कटौती स्वीकार्य होगी। धारा 80CCD(2)

परन्तु केन्द्र/राज्य सरकार के नवीन अंशदायी पेंशन योजना में किये गये 14% एवं 10% अंशदान को पहले सकल वेतन में शामिल किया जायेगा। यह कटौती केवल व्यक्ति (Individual) को ही दी गई है।

नवीन पेंशन योजना में किये जाने वाले 10% अंशदान की गणना मूल वेतन + ग्रेड वेतन + महंगाई भत्ता को जोड़कर की जायेगी। (धारा 80CCD)

Scanned by CamScanner

C-L-Soni

यदि कर्मचारी अपने पेंशन खाते से पेंशन अंशदान के 25% तक राशि आहरण करता है तो आहरित राशि आयकर से मुक्त होगी परन्तु कर्मचारी अपना पेंशन खाता बन्द कर देता है या इस स्कीम से बाहर आना चाहता है तो कर्मचारी को उस समय देय कुल राशि के 60% तक की राशि कर योग्य नहीं होगी। यह छूट कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से गैर कर्मचारी अंशदाता को नहीं मिलेगी। कर्मचारी (asessee) की मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को मिलने वाली सम्पूर्ण राशि कर मुक्त होगी।

(धारा 10(12(A), 80CCD)

धारा 80CCC एवं 80CCD (1) में भुगतान या जमा राशि पर धारा 80C के तहत कटौती मान्य नहीं होगी।

परन्तु धारा 80C, 80CCC एवं 80CCD(1) इन तीनों धाराओं में कर निर्धारण वर्ष 2015-16 से अधिकतम 1.50 लाख रु. तक की कटौती हो सकेगी। केन्द्र/ राज्य सरकार द्वारा धारा 80CCD (2) के तहत नवीन अंशदायी पेंशन योजना में किये गये 14%/10% अंशदान की राशि धारा 80C, 80CCC & 80CCD (1) इन तीनों धाराओं में अधिकतम 1.50 लाख की कटौती की अधिकतम सीमा के अलावा होगी।

(धारा 80CCE)

0.17 Section 10(*12A*) provides that any payment from the National Pension System (NPS) Trust to an employee on closure of account or his poting out of the pension scheme referred to in section 80CCD, to the extent it does not exceed 40 per cent of the total amount payable to him at the time of closure or at the time of his opting out of the scheme, shall be exempt from tax.

• *Amendment*– With a view to enable the pensioner to have more disposable funds, the aforesaid exemption has been incresed from 40 per cent to 60 per cent. After this amendment (which is applicable from the assessment year 2020-21) 60 per cent of the total amount payable to the person at the time of closure or at the time of his opting out of NPS, shall be exempt from tax under section 10(*12A*).

(ii) चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिये कटौती - व्यक्ति करदाता स्वयं अथवा अपने पति-पत्नी के स्वास्थ्य अथवा अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिये बीमा प्रीमियम का भुगतान बीमा नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना अथवा केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना, या केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य किसी स्वास्थ्य योजना में अंशदान किया गया हो। इस योजना को मेडिक्लेम बीमा योजना पालिसी के नाम से जाना जाता है। चैक द्वारा भुगतान किया गया बीमा प्रीमियम अथवा 25000 रु. की राशि जो भी कम हो कटौती योग्य होगी।

वरिष्ठ नागरिक जिसकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है यदि उनका चिकित्सा स्वास्थ्य बीमा नहीं है, उन्हें रु. 50000 की छूट चिकित्सा व्यय हेतु देय होगी।

चिकित्सा बीमा प्रीमियम के लिये कटौती u/s 80D निम्नानुसार देय होगी -

Scenarios	Health insurance premium paid for & Maximum tax deduction limits		Total Deduction under Section 80D
	Self, spouse & Dependent Children	Parents (whether dependent or not)	
No one in your family has attained 60 years of Age	Upto Rs. 25,000	Upto Rs. 25,000	Rs. 50,000
The eldest member in Your family (yourself, spouse and dependent children) is less than 60 years & Your Parents (either mother or father) are above 60 years of age)	Upto Rs. 25,000	Upto Rs. 50,000*	Rs. 75,000
The eldest member in Your family (yourself, spouse and dependent children) has attained 60 years & Your Parents (either mother or father) are above 60 years of age)	Upto Rs. 50,000*	Upto Rs. 25,000*	Rs. 1,00,000

*Nature of Amount spent can be towards medical Expenditure as well

एक से अधिक वर्ष के लिए एकमुश्त किये गये चिकित्सा बीमा प्रीमियम को सम्बद्ध वषो में बराबर भागों में घटाया जाएगा।

नोट - (1) स्वास्थ्य जांच में किए गए कुल खर्चे अधिकतम 5000 रु. की सीमा में ही अनुज्ञेय।

(2) धारा 8080D तहत अधिकतम अनुज्ञेय कटौतियां - A+B i.e. 50000+50000 = 1 लाख

(3) क्रमांक 'अ' की कटौतियां HUF को भी मिलेगी।

(धारा 80D)

(iv) विकलांग आश्रितों के चिकित्सा उपचार के सम्बन्ध में कटौती - (अ) करदाता ने विकलांग आश्रित (स्वयं, पत्नी, बच्चे, भाई, बहिन, माता-पिता) जो 40% से अधिक की अयोग्यता से ग्रस्त है, की (स्थायी शारीरिक एवं मानसिक विकलांगता जिसमें अंधापन, Autism, Cerebral Plasy, Multiple disability भी सम्मिलित है) चिकित्सा (परिचर्या सहित) प्रशिक्षण तथा पुनः स्थापना के लिये व्यय किया है।

(ब) करदाता ने बीमा नियामक विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किसी योजना के तहत विकलांग आश्रितों की देखभाल के लिये निवेश किया हो, इस धारा के तहत अधिकतम 75,000 रु. कटौती दी जायेगी।

यदि ऐसा विकलांग आश्रित व्यक्ति 80% से अधिक गम्भीर अयोग्यता से ग्रस्त है तो करदाता को 1.25 लाख रु. तक की छूट दी जा सकेगी। (धारा 80DD)

(v) चिकित्सा उपचार के सम्बन्ध में कटौती - स्वयं तथा आश्रित रिश्तेदार (पति-पत्नी, माता-पिता, बच्चे, भाई-बहिन) के लिये "नियम 11DD" में विनिर्दिष्ट बीमारी (कैंसर, एड्स, हीमोफिलिया, थेलसेमिया (Thalassaemie), न्यूरोलाजिकल डिजीज आदि) के उपचार में किया गया व्यय पर 40,000 रु. या वास्तविक व्यय जो भी कम हो की कटौती प्रदान की जायेगी। वरिष्ठ नागरिक (60 वर्ष की आयु) के उपचार पर व्यय की गई राशि के सम्बन्ध में छूट 1 लाख रु. या वास्तविक व्यय जो भी कम हो, होगी तथा सुपर वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष या अधिक) के उपचार पर व्यय की गई राशि के सम्बन्ध में 1 लाख रु. या वास्तविक व्यय जो भी कम हो होगी। (धारा 80 DDB)

Scanned by CamScanner

नोट :- बीमा कम्पनी से एवं करदाता के नियोक्ता से इलाज हेतु प्राप्त राशि को उपरोक्त कटौती में से कम कर दिया जायेगा।

(vi) उच्च शिक्षा हेतु लिये गये ऋण के ब्याज पर कटौती (Interest on loan taken for higher education) - कर निर्धारण वर्ष 2006-2007 से धारा 80E के तहत केवल ऋण के ब्याज की राशि (अधिकतम 8 वर्ष या ब्याज के भुगतान होने तक जो भी पहले हो) कटौती योग्य है। मूल ऋण की राशि पर इस धारा में कोई कटौती नहीं मिलेगी। इस कटौती का प्रारम्भ उस वर्ष से होगा जिस वर्ष से ऋण के पुनर्भुगतान का प्रारम्भ किया गया है। इसके लिये निम्न शर्तों की पालना की जानी चाहिये :-

1. करदाता व्यक्ति होना चाहिए।
2. उच्च शिक्षा से तात्पर्य इंजीनियरिंग, मेडीसिन, मैनेजमेन्ट में स्नातक या अधिस्नातक, गणित व सांख्यिकी सहित Applied Science/Pure Science में अधिस्नातक से है।
3. कर निर्धारण वर्ष 2010-11 से उच्च शिक्षा में शिक्षा के सभी क्षेत्रों (वोकेशनल स्टडी सहित) को शामिल कर लिया गया है जो सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद किये जाते हैं।
4. यह ऋण बैंक, वित्तीय संस्था या अधिकृत संस्था जिसको सरकार ने अधिसूचित किया है, से लिया गया हो।
5. यह ऋण करदाता द्वारा अपने स्वयं अथवा अपने रिश्तेदार (बच्चे/पति-पत्नी) तथा बच्चों के कानूनी संरक्षक द्वारा उच्च शिक्षा के लिए लिया गया हो।
6. गत वर्ष के दौरान करदाता ऐसे ऋण पर ब्याज का भुगतान कर चुका हो। छ
7. ऐसे ब्याज का भुगतान कर योग्य आय में से किया गया हो। **(धारा 80E)**
8. इस हेतु कोई अधिकतम सीमा नहीं है पूरा पूरा ब्याज कर योग्य आय की गणना में से कटौती योग्य है।

(vii) प्रथम आवासीय मकान सम्पत्ति पर लिये गये ऋण पर ब्याज की कटौती- आयकर अधिनियम की धारा 80EE में पहली बार घर खरीदने वालों के लिये अधिकतम रु. 50000 की अतिरिक्त छूट दी जायेगी। यह छूट 80C व धारा 24 की छूट के अलावा निम्न शर्तों के साथ देय होगी -

(1) ऋण बैक या आवास वित्त कम्पनी द्वारा 1.4.2016 से 31.03.2017 के दौरान स्वीकृत होना चाहिये।

(2) ऋण राशि 35 लाख रु. से कम होनी चाहिए।

(3) घर की कीमत 50 लाख से कम होनी चाहिए।

(4) व्यक्तिगत करदाता के पास ऋण स्वीकृति की दिनांक को अन्य कोई घर नहीं हो।

छूट कर निधारित वर्ष 2017-18 और आगे के वर्षों में दी जायेगी। **(धारा 80EE)**

आवासीय मकान सम्पत्ति पर वित्तीय वर्ष 2019-2020 में लिये गये ऋण पर ब्याज की कटौती- व्यक्ति करदाता द्वारा आवासीय मकान सम्पत्ति जिसकी स्टाम्प ड्यूटी मूल्य 45 लाख से अधिक न हो के अर्जन के लिये किसी बैंक या हाउसिंग फाइनेन्स कम्पनी से 1 अप्रेल 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि में ऋण लिया गया हो तथा उसके पास ऋण लेने की दिनांक तक कोई आवासीय मकान सम्पत्ति नहीं हो और वह धारा 80EE के तहत कोई कटौती का पात्र नहीं हो उसे कर निर्धारण वर्ष 2020-2021 से वास्तविक ब्याज राशि या 1.50 लाख जो भी कम हो ब्याज पर छूट देय होगी।

ऐसे करदाता को धारा 24(b) के तहत ब्याज की छूट प्राप्त नहीं होगी। (धारा 80 EEA)

इलेक्ट्रिक वाहन के क्रय हेतु लिये गये ऋण के ब्याज पर कटौती- कर निर्धारण वर्ष 2020-21 से इलेक्ट्रिक वाहन के क्रय हेतु लिये गये ऋण पर देय ब्याज राशि या 150000 रु. जो भी कम हो की छूट दी जायेगी। (धारा 80 EEB)

(viii) कुछ निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि को दिये गये दान के लिये 100% व 50% कटौती अनुज्ञेय होगी बशर्ते कि ऐसी संस्थाएँ और ट्रस्ट धर्मार्थ उद्देश्यों के लिये स्थापित हो।

सकल कुल आय के 10% तक की दान राशि पर कटौती उपलब्ध होगी।

80G के अन्तर्गत चैरिटेबल संस्थाओं को दान पर छूट देने के लिये आहरण एवं वितरण अधिकारी सक्षम नहीं है। करदाता को इस दान को अपनी रिटर्न फाइल करने पर क्लेम करना होगा।

कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से 2,000 से अधिक दान राशि का भुगतान नकद न होकर चैक/ड्राफ्ट आदि किसी भी प्रकार से होना चाहिये। (धारा 80G)

बचत खाते से प्राप्त ब्याज की 10000 रु. की सीमा तक छूट - व्यक्ति करदाता या संयुक्त हिन्दु परिवार को कर निर्धारण वर्ष 2013-14 से बैंक, कॉ-आपरेटिव बैंक व पोस्ट ऑफिस के बचत खाते से प्राप्त होने वाले ब्याज की छूट 10000/- रु. तक मिलेगी व sec. 10(15)(i) के अन्तर्गत पोस्ट ऑफिस के बचत खाते के ब्याज की छूट 3500 रु. (Single Account) व 7000 रु. (Joint Account) की मिलेगी। (धारा 80TTA)

वरिष्ठ नागरिक को बचत खाते एवं स्थायी जमा खाते से प्राप्त ब्याज पर 50000 रु. की सीमा तक छूट - कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से वरिष्ठ नागरिक को बैंक/कॉ-आपरेटिव बैंक/पोस्ट ऑफिस से बचत खाते, स्थाई जमा खाते से प्राप्त ब्याज पर 50000 रु. की छूट मिलेगी परन्तु वरिष्ठ नागरिक को अब धारा 80 TTA के तहत कटौती नहीं मिलेगी। (धारा 80TTB)

(ix) स्थाई रूप से शारीरिक असमर्थता की दशा में कटौती: पूर्णतः नेत्रहीन अथवा शारीरिक रूप से विकलांग अथवा मानसिक मंदता से पीड़ित Autism, Cerebral Palsy, Multiple disability निवासी व्यक्ति के मामले में सकल कुल आय में से

Scanned by CamScanner

C.L. SONI

75,000/- रु. की अधिकतम कटौती की जायेगी। परन्तु 40% से कम अयोग्यता नहीं होनी चाहिए। (धारा 80U)

80% से अधिक की अयोग्यता होने पर 1.25 लाख रू. की अधिकतम कटौती कर निर्धारण वर्ष 2016-17 से देय होगी।

कुल आय से आशय - कुल आय में से धारा 80C से 80U तक (80G को छोड़कर) कटौतियों को घटाने के बाद प्राप्त राशि से है।

कुल आय (Total Income) की राशि को सम्पूर्ण (Round Off) करना - कुल आय की राशि में यदि पैसे हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। उसके बाद यदि कुल आय 10 के गुणक में नहीं है तो अन्तिम अंक 5 या ज्यादा होने पर उसे अगले 10 के गुणक में बदल कर बढ़ा दिया जाता है, अन्यथा अन्तिम अंक 5 से कम होने पर पिछले 10 के गुणक में कम कर दिया जाता है। **(धारा 288A)**

आयकर की दरें :-

(i)	2.50 लाख तक	शून्य
(ii)	2.50 लाख से 5.00 लाख तक	5%
(iii)	5.00 लाख से 10.00 लाख तक	20%
(iv)	10.00 लाख से अधिक	30%

वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष या अधिक आयु के व्यक्ति) के लिये 3.00 लाख तक तथा 80 वर्ष व अधिक आयु के सुपर सीनियर सिटीजन के लिये 5.00 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा।

नोट - व्यक्तिगत करदाता जिसकी शुद्ध आय 5.00 लाख से अधिक नहीं है उन्हें कर निर्धारण वर्ष 2020-21 से आय पर देय कर या अधिकतम 12500 रु. जो भी कम हो धारा 87A के तहत छूट देय होगी।

स्वास्थ्य और शिक्षा के लिये अधिभार- आयकर का 4% होगा।

शुद्ध आय (Net Income) से आशय वेतन आय में से मकान सम्पत्ति से आय के अन्तर्गत मकान ऋण ब्याज की कटौती के पश्चात् तथा धारा 80C, 80CCC से 80U तक की कटौतियां घटाने के पश्चात् प्राप्त आय से है।

आयकर से राहत (Relief for Income Tax Sec.89) यदि किसी गत वर्ष में करदाता को (अ) बकाया या पेशगी वेतन प्राप्त होने के कारण या (ब) 12 माह से अधिक का वेतन प्राप्त होने के कारण अथवा (स) वेतन के स्थान पर कोई लाभ प्राप्त होने के कारण उस पर ऊँची दरों से आयकर लगता है तो आयकर अधिकारी करदाता के निवेदन पर निर्धारित छूट प्रदान कर सकते हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृति योजना के तहत प्राप्त योग्य राशि पर इस धारा के अधीन आयकर से राहत प्राप्त की जा सकती है।

बकाया वेतन/अग्रिम पर कर राहत की गणना-

(1) जिस वर्ष में बकाया या अग्रिम वेतन प्राप्त हुआ है उस वर्ष में इसे सम्मिलित कर कुल आय के योग पर सर्वप्रथम गणना करें।

(2) बकाया/अग्रिम वेतन (अतिरिक्त वेतन) को घटाकर तथा वर्ष की कुल आय पर कर की गणना करें।

(3) उपरोक्त (1) में से (2) को घटायें, यह बकाया/अग्रिम (अतिरिक्त वेतन) पर कर की राशि होगी।

(4) ऐसे प्रत्येक गत वर्षों में अतिरिक्त वेतन को जोड़ते हुए कुल आय पर कर की गणना करें।

(5) बिना अतिरिक्त वेतन को जोड़े हुए पिछले प्रत्येक वर्षों की कुल आय पर कर की गणना करें।

(6) उपरोक्त (4) में से (5) को घटाइये, यह अन्तर अतिरिक्त वेतन पर कर का योग होगा।

(7) उपरोक्त (3) और (6) का अन्तर धारा 89(1) के अन्तर्गत कर राहत है - **धारा 21ए(2)**

स्रोत पर आयकर कर की कटौती (Tax Deduction at Source)

वेतन शीर्षक के अन्तर्गत किसी भी कर योग्य आय का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी किसी व्यक्ति के लिये देय राशि पर टी.डी.एस. देना आवश्यक है।

- डाकघर आवर्ती/समय निक्षेप, डाकघर मासिक आय खाता, किसान विकास पत्र, इन्दिरा विकास पत्र, राष्ट्रीय बचत पत्र viiiवां निर्गम योजना से प्राप्त ब्याज पर टी.डी.एस. नहीं काटा जावेगा। परन्तु 8% (6 वर्षीय) बचत बॉण्ड से प्राप्त ब्याज पर टी.डी.एस. काटा जायेगा।

ठेकेदारों को भुगतान में से टी.डी.एस. की कटौती (T.D.S. from Payment to Contractors) -

राजकीय विभाग/अर्द्ध सरकारी संस्थाए/निगम/प्राधिकरण/सोसायटी/ विश्वविद्यालय किसी ठेके के अन्तर्गत कोई काम करने के लिए (कोई काम करने के लिए मजदूर को भेजने सहित) ठेकेदार को कुछ राशि देने के लिए जिम्मेदार होगा तो वह नकद में अथवा चैक अथवा ड्राफ्ट या किसी अन्य तरीके से किये जाने वाले भुगतान के समय ही कर की कटौती करेंगे। यह कटौती स्रोत पर व्यक्तिगत अथवा हिन्दू अविभक्त परिवार के प्रकरण में 1% तथा अन्य में 2% होगी।

1 जुलाई, 2010 से 30,000 रु. तक के संविदा के प्रतिफल पर टी.डी.एस. की कटौती नहीं की जायेगी। धारा194 (C)

परन्तु 1 जुलाई, 2010 से लागू संशोधन के अनुसार किसी ठेकेदार को यदि 30,000 रु. से अधिक का कोई भी भुगतान (या जमा प्रविष्टि) या एक वित्तीय वर्ष में कुल 1 लाख रु. से अधिक का भुगतान (या जमा प्रविष्टि) किया जाता है तो आयकर की कटौती की जायेगी।

प्रतिभूति ब्याज के अलावा अन्य ब्याज पर टी.डी.एस. कटौती - यदि किसी व्यक्ति की अनुमानित सकल आय पर कोई कर से राशि नहीं बनती है तो वह इस प्रकार की घोषणा फार्म नं. 15जी तथा वरिष्ठ नागरिक एच में भर कर भुगतानकर्ता को दे सकता है ताकि उसको किये जाने वाले भुगतान पर कर की कटौती नहीं हो।

स्रोत पर कर कटौती की दर 10% की दर से की जावेगी। यदि गत वर्ष में ब्याज की राशि 40,000 रु. तथा बैंक के अतिरिक्त ब्याज की राशि 5000 रु. से अधिक नहीं है तो स्रोत पर कोई कटौती नहीं होगी। **(धारा 194 ए)**

Scanned by CamScanner

C.L. Soni

बैंक में अवधि जमा (Fixed Deposit) आवृति जमा पर ब्याज के सम्बन्ध में टी.डी.एस. की कटौती -

1 अप्रेल 2019 से बैंक में अवधि जमा, आवृति जमा (Recurring Deposits) पर ब्याज 40000 रु. से अधिक होने पर 10% की दर से बैंक उद्गम स्थान पर टी.डी.एस. की कटौती करेंगे। **(धारा 194 ए)**

कर निर्धारण वर्ष 2019-20 से वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज राशि की सीमा 10000 रु. से बढ़ाकर 50000 रु. कर दी है, अतः 50000 रु. के ब्याज पर स्त्रोत पर कोई कटौती नहीं होगी। **(धारा 194 ए)**

बीमा कमीशन के भुगतान पर टी.डी.सी. कटौती- किसी व्यक्ति द्वारा बीमा व्यवसाय लाने के सम्बन्ध में किसी निवासी व्यक्ति को दिये गये पारितोषिक चाहे वह कमीशन के रूप में हो पर उपरोक्त पारिश्रमिक या कमीशन की राशि के 15000 रु. से अधिक होने पर स्रोत पर कटौती आवश्यक है। स्रोत पर कटौती व्यक्तिगत पर 5% तथा अन्य में 10% की दर से की जायेगी। (धारा 194 D)

दलाली अथवा कमीशन के भुगतान में से उद्गम स्थान पर कर की कटौती - यदि दलाली अथवा कमीशन के रूप में दी जाने वाली राशि 15000 से अधिक हो तो स्रोत पर आय का 5% की दर से उद्गम स्थान पर कर की कटौती की जायेगी। **(धारा 194 एच)**

किराये के भुगतान में से टी.डी.एस. कटौती - एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त किये गये किराये की राशि 1 अप्रेल 2019 से 2,40,000 से अधिक है जहाँ आदाता कोई Individual या हिन्दु अविभक्त परिवार है तो प्लांट एवं मशीनरी या उपकरण के किराये पर 2% तथा भूमि भवन, फर्नीचर और फिटिंग पर 10% आयकर की कटौती की जावेगी। **(धारा 194 आई)**

स्थावर सम्पत्ति के क्रय के समय स्रोत पर कर की कटौती - 1 जून 2013 से स्थावर सम्पत्ति का क्रेता प्रतिफल के भुगतान (नकद, चैक, ड्राफ्ट, पुस्तकीय हस्तान्तरण) के समय प्रतिफल राशि का 1% स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी होगा। प्राप्तकर्ता यदि भुगतान करने वाले (क्रेता) को PAN नम्बर उपलब्ध नहीं कराने की दशा में स्रोत पर 20% कर की कटौती की जायेगी। यह प्रावधान रु. 50 लाख से कम राशि की स्थावर सम्पत्ति के हस्तान्तरण एवं ग्रामीण क्षेत्र में कृषि भूमि के हस्तान्तरण पर लागू नहीं होगा। इस हेतु TAN के प्रावधान भी लागू नहीं होंगे। **(धारा 194IA)**

पेशा सम्बन्धी तकनीकी सेवाओं की फीस पर टी.डी.एस. की कटौती -

- पेशेवर/तकनीकी सेवाओं (डाक्टर, इन्जीनियर, लेखक, वकील) की फीस 1 जुलाई 2010 से 30000 रु. से अधिक नहीं है, तो टी.डी.एस. कटौती नहीं की जावेगी।

30000 रु. से अधिक फीस की आय होने पर 10% आयकर की कटौति की जावेगी।

1 जून 2017 से यदि करदाता जो केवल काल सेन्टर चलाने के व्यापार में ही संलग्न है तो उस पर 2% की दर से टीडीएस की कटौती की जावेगी। **(धारा 194 जे)**

परन्तु 1 जुलाई, 2012 से कम्पनी के डायरेक्टर को देय मानदेय जो कि वेतन प्रकृति का नहीं है तो उस मानदेय पर 10% की दर से टीडीएस की कटौती की जावेगी उस पर 30000 रु. की सीमा लागू नहीं होगी।

स्रोत पर आयकर कटौती की विवरणी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से त्रैमासिक भेजी जावेगी -

स्रोत पर आयकर कटौती (TDS Returns) की त्रैमासिक विवरणी (Quarterly Returns) इलेक्ट्रोनिक माध्यम से अधिसूचना सं. S.O.928(E) दिनांक 30.6.2005 की अनुपालना में निम्नांकित तिथियों को प्रेषित की जायेगी।

फार्म सं.	विवरण	निर्धारित दिनांक 24Q & 26Q
24 Q	संवेतन शीर्षक से स्रोत पर आयकर कटौती की त्रैमासिक विवरणी	
26 Q	संवेतन शीर्षक के अतिरिक्त स्रोत पर आयकर कटौती की त्रैमासिक विवरणी	
	अप्रेल 19 से जून 19 तक	31 जुलाई, 19
	जुलाई 19 से सितम्बर 19 तक	31 अक्टूबर, 19
	अक्टूबर 19 से दिसम्बर 19 तक	31 जनवरी 20
	जनवरी 20 से मार्च 20 तक	31 मई, 20

उपरोक्त निर्धारित तिथि तक त्रैमासिक विवरणी दाखिल नहीं करने पर 200 रु. प्रतिदिन के हिसाब से फीस देनी पड़ेगी। (धारा 234E) तथा 10000 रु. प्रतिदिन के हिसाब से जो कि अधिकतम Tax की सीमा तक होगी, पेनल्टी भी धारा 271H के तहत देनी होगी जिसका निर्धारण 1 अक्टूबर 2014 से कर निर्धारण अधिकारी करने हेतु सक्षम होगा।

फार्म सं. 24 Q एवं 26 Q के समर्थन के लिये फार्म सं. 27 A (Physical Control Chart) निर्धारित प्रपत्र में उपरोक्त वर्णित तिथि तक इलेक्ट्रोनिक आयकर विवरणी के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

e-TDS की त्रैमासिक विवरणी निर्धारित प्रपत्र(Prescribed Data Structure) में तैयार कर सीडी रोम में स्टोर कर नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लि. (NSDL) द्वारा निर्धारित केन्द्र पर जमा की जावेगी।

स्रोत पर कर की कटौती नहीं करने के परिणाम -

जो कोई व्यक्ति स्रोत पर ही कर की कटौती करने के लिये जिम्मेदार है कर की कटौती नहीं करता है अथवा कटौती करने के पश्चात् कर भुगतान करने में असफल रहता है तो निम्नानुसार साधारण ब्याज देना होगा - **[धारा 201 (1A)]**

(i)	स्रोत पर कर की कटौती करने की दिनांक से वास्तविक कटौती करने की दिनांक तक	1% प्रतिमाह की दर से
(ii)	स्रोत पर कर की वास्तविक कटौती करने की दिनांक से वास्तव में भुगतान की दिनांक तक	1.5% प्रतिमाह की दर से

कटौती किये गये कर के लिये प्रमाण पत्र - कर के स्रोत पर कटौती करने वाला प्रत्येक व्यक्ति उस व्यक्ति को जिसके

Scanned by CamScanner

C. L. Soni

खाते में ऐसी राशि जमा अथवा भुगतान की गई है, इस आशय का प्रमाण पत्र देगा कि कर की कटौती कर ली गई है। प्रमाण-पत्र में कर की कटौती की दर व विवरणों का उल्लेख होना चाहिये। **(धारा 203)**

जिस व्यक्ति की टी.डी.एस. कटौती की जा रही है उसके पास (PAN) स्थाई खाता संख्या होना 1 अप्रेल 2010 से अनिवार्य होगा अन्यथा उससे टी.डी.एस. की कटौती एक्ट में निर्धारित अधिकतम कर की दर से की जावेगी या 20% जो भी अधिक हो, की दर से की जावेगी। **[धारा 206 (AA)]**

कर का अग्रिम भुगतान (Advance Payment of Tax)- प्रत्येक व्यक्ति को अग्रिम कर का भुगतान करना उस स्थिति में अनिवार्य है, यदि देय अग्रिम कर की राशि 10000 रु. अथवा उससे अधिक हो। आय की सभी मदों पर अग्रिम कर का भुगतान अनिवार्य है। **(धारा 208)**

अग्रिम कर की गणना - चालू आय के आधार पर की जा सकती है यदि अग्रिम भुगतान करने की अन्तिम तिथि को बैंक में अवकाश है तो करदाता अगले कार्यदिवस को भुगतान कर सकता है। (1 जून 2016 से प्रभावी)

किश्त की देय तिथि	देय अग्रिम कर राशि (प्रतिशत में)
15 जून तक या पहले	15 प्रतिशत तक
15 सितम्बर तक या पहले	45 प्रतिशत तक
15 दिसम्बर तक या पहले	75 प्रतिशत तक
15 मार्च तक या पहले	100 प्रतिशत तक

(धारा 211)

अग्रिम कर का भुगतान नहीं करने के परिणाम- प्रतिमाह 1% की दर से साधारण ब्याज लिया जायेगा। **(धारा 234 बी)**

आय विवरणी को वैधानिक दायित्व के रूप में दाखिल करना कब आवश्यक है- एक व्यक्तिगत करदाता/ हिन्दू अविभाजित परिवार/ AOP/BOI/ कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति के लिए आयकर विवरणी प्रस्तुत करना आवश्यक है यदि उसकी कुल आय धारा 10(38), 10A, 10B, 10BA एवं धारा 80C से 80U का प्रभाव डाले बिना अधिकतम कर मुक्त आय से अधिक है।

एक व्यक्तिगत करदाता (महिला करदाता सहित) के लिये 2.50 लाख रु., वरिष्ठ नागरिक करदाता के लिए 3.00 लाख रु. तथा 80 वर्ष या अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक के लिये 5.00 लाख रू. तक की कुल आय (Total Income) कर मुक्त आय है। **(धारा 139)**

1 अप्रेल 2018 से प्रत्येक व्यक्ति जो वित्तीय वर्ष में 2.50 लाख रु. या अधिक के वित्तीय लेन-देन में सम्मिलित होता है उसे PAN के लिये आवेदन करना चाहिये।

1 अप्रेल 2017 से PAN प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र में आयकर विवरणी में आधार नम्बर अंकित करना आवश्यक कर दिया गया है। **(धारा 139AA)**

करदाता आयकर की विवरणी (Income Tax Return) कम्प्यूटर रीडेबल मीडिया के किसी भी माध्यम के द्वारा निर्धारित तिथि से पूर्व बिना विभाग में उपस्थित हुए दाखिल कर सकता है। **(धारा 139(1B))**

1 अप्रेल 2017 से 2 लाख या अधिक का भुगतान अकाउन्ट पेई चैक/ड्राफ्ट या ECS के माध्यम से ही प्राप्त किया जाना आवश्यक है अन्यथा ऐसी प्राप्ति के 100% के समान पेनेल्टी लगेगी। **(धारा 271 DA)**

धारा 139 (D) - यदि करदाता इलेक्ट्रोनिक फार्म में रिटर्न दाखिल करता है तो कर निर्धारित अधिकारी द्वारा दस्तावेज विवरण पत्र आदि सूचना मांगने पर प्रस्तुत करेगा।

स्थायी खाता संख्या (PAN) - प्रत्येक व्यक्ति जिसकी कुल आय अधिकतम कर मुक्त सीमा से अधिक हो या धारा 139 (1) के तहत उपरोक्त में से किसी एक शर्त की पूर्ति करने पर स्थायी खाता संख्या प्राप्त करना आवश्यक है। स्थायी खाता संख्या प्राप्त करने के लिए फार्म सं. 49A में आवेदन करना चाहिए। पैन संख्या सही नहीं होने पर 10000 रु. की शास्ति आरोपित की जा सकती है। **(धारा 272B)**

आय विवरणी (Income Tax Return) को समय के बाद दाखिल करना - यदि विवरणी (Income Tax Return) को धारा 139(1) अथवा धारा 142(1) के अन्तर्गत स्वीकृत समय के भीतर प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो वह व्यक्ति सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष (Assessment year) की समाप्ति से पूर्व या कर निर्धारण किये जाने से पूर्व, जो भी पहले हो, विवरणी प्रस्तुत कर सकता है। यदि आयकर विवरणी देरी से दाखिल करता है तो हानियों को अग्रेषित नहीं कर सकता है। **धारा 139(4)**

आयकर विवरणी समय पर दाखिल करने से चूक करने पर फीस - यदि आयकर विवरणी निर्धारित समय सीमा के पश्चात् लेकिन कर निर्धारण वर्ष के 31 दिसम्बर को या उससे पहले प्रस्तुत करने पर 5000 रु. फीस देय होगी अन्य मामलों में यह फीस 10000 रु. होगी। ऐसा मामला जिसमें कुल आय 5 लाख से अधिक नहीं है वहाँ फीस की राशि 1000 रु. से अधिक नहीं होगी, यह प्रावधान कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से प्रभावी है तथा धारा 271F के तहत समय पर आयकर विवरणी दाखिल नहीं करने पर पेनेल्टी का प्रावधान कर निर्धारण वर्ष 2018-19 से लागू नहीं होगा। **(धारा 234 F)**

संशोधित आय विवरणी (Revised Income Tax Return) दाखिल करना - कुछ शर्तें पूरी करके एक करदाता अपनी संशोधित आय विवरणी सम्बन्धित कर निर्धारण वर्ष की समाप्ति से पहले अथवा कर निर्धारण समय से पूर्व (जो भी पहले हो) दाखिल कर सकता है। **धारा 139(5)**

स्व कर निर्धारण (Self Assessment) - जहाँ दाखिल की गई किसी विवरणी (Return) के आधार पर कोई कर देय हो तो कर के अग्रिम भुगतान या टी.डी.एस. की कटौती के बाद करदाता द्वारा आय विवरणी दाखिल करने से पूर्व आयकर व ब्याज का भुगतान करना आवश्यक है। **(धारा 140A)**

अधिक भुगतान किये गये कर की वापसी (Refund of Excess Tax) - करदाता कर निर्धारण अधिकारी को सन्तुष्टि

□□□ □□□

Scanned by CamScanner

करता है कि किसी कर निर्धारण वर्ष के लिये उसके द्वारा दिये कर की राशि अधिनियम के अन्तर्गत देय कर राशि से अधिक भुगतान की गई है तो उसे अधिक भुगतान की गई कर राशि को वापस प्राप्त करने का अधिकार होगा। **(धारा 237)**

वापसी के लिये दावा फार्म सं. 30 में प्रस्तुत किया जाना चाहिए तथा उसका सत्यापन निर्धारित तरीके से किया जाना चाहिये।

करदाता को देय ब्याज की गणना - कर निर्धारण वर्ष में रिफण्ड मांगने की तिथि से रिफण्ड स्वीकृत करने की तिथि तक की अवधि के लिये 0.5% प्रतिमाह की दर से सरल ब्याज की गणना की जायेगी। परन्तु यदि देय वापसी की राशि निर्धारित कर की राशि के 10% से कम हो तो कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(धारा 244A)

एक राज्य कर्मचारी के वित्तीय वर्ष 2019-20 में वेतन भत्ते एवं कटौतियों का विवरण निम्न प्रकार है -

	(रूपये)		(रूपये)
मूल वेतन	1500000	मकान किराया भत्ता	240000
महंगाई भत्ता	255000	भवन निर्माण अग्रिम	
नगर क्षतिपूर्ति भत्ता	12000	पर ब्याज	225000
मकान किराया भुगतान प्रतिमाह (जयपुर में)	20000		

जमा एवं विनियोजन

जीवन बीमा प्रीमियम	18000	जी.पी.एफ.	300000
राज्य बीमा	48000	लोक भविष्य निधि	25000
ट्यूशन फीस (एक बच्चे पर)	40000	भवन निर्माण अग्रिम का पुनर्भुगतान	40000
मेडिक्लेम पॉलिसी प्रीमियम 80D	10000	दुर्घटना बीमा	220
सावधि (स्थाई) जमा खाते पर ब्याज	40000	बचत खाते पर प्राप्त ब्याज	12000

Computation of Total Income
Assessment Year 2020-2021

Basic Pay	1500000
Dearness Allowance	255000
HRA (240000-64500)*	175500
CCA	12000
Gross Salary	**1942500**
Less : Standard Deduction	50000
Taxable Salary	**1892500**
Income from House Property -	
Annual value (being self occupied property)	Nil
Less : Interest on Housing Loan U/s 24	(-) 200000
Income from Other Sources	
Interest on FDR 40000	
Interest on SB A/c 12000	52000
GROSS TOTAL INCOME	**1744500**
Less : Deduction -	
Less U/s 80 C Investment & Deposit	
LIC 18000	
GPF 300000	
State Insurance 48000	
PPF 25000	
Tution Fee	40000
Repayment of HBA	40000
Gr.Insurance	220
Total Investment and Deposit - Rs. 471220	
Maximum Limit of Rebate (U/s 80C)	150000
U/s 80 D Mediclaim policy Premium	10000
Less: 80 TTA Interest from Saving Bank	10000
Total Deduction	(Max) 170000
Net Taxable Income	1574000
Roundoff	**1574000**
Tax Calculation - upto 2.50 Lacs	Nil
Rs. 2.50 lacs to 5.00 lacs 5%	12500
Upto Rs. 5.00 lacs upto 10 lacs 20%	100000
574000 30%	172200
Income Tax	**284700**
Add Health and Education Cess 4%	11388
Total Tax	**296088**

***HRA Rebate** : The minimum of the following three amount shall be exempt U/s [10(13A)]

i)	Actual HRA received	240000
ii)	Rent paid in excess of 10% of salary (240000-175500)	64500
iii)	40% of Pay (Pay means Pay + D.A.)	702000
	Rebate	**64500**

आहरण वितरण अधिकारी एवं वेतन भोगी कर दाताओं के लिये सम्बन्धित फार्म व निर्धारित तिथियां

क्र.	विवरण	फार्म सं.	निर्धारित दिनांक
1.	आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कर्मचारी को कटौती किये गये कर के लिये प्रमाण पत्र जारी करना (TDS Certificate)	16	31 मई
2.	स्थाई खाता संख्या (PAN) आवंटन करवाने हेतु	49-A	31 मई से पूर्व
3.	आहरण एवं वितरण अधिकारी/नियोक्ता द्वारा वेतन से कटौती किये गये कर (TDS) की त्रैमासिक विवरणी भरना	24 Q	त्रैमासिक
4.	आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा ठेकेदार को किये जाने वाले भुगतान की गई कर की कटौती का त्रैमासिक विवरणी भरना	26 Q	त्रैमासिक
5.	वेतन भोगी करदाता	ITIR-1 and ITR-2	31 जुलाई

नोट : निर्धारित इलेक्ट्रोनिक फार्म के द्वारा भी आयकर विवरणी निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत की जा सकती है।

Scanned by CamScanner

C. L. Soni

Rates for Tax Deduction at Source During the Financial Year 2019-2020 (When Receipient is Resident)

Nature of Payment	TDS (SC : Nil, HEC : Nil)
Sec. 192 - Payment of salary [normal tax rates are applicable - see para 0.1-1b, SC - 10% (if total income exceeds Rs. 50 lakh but does not exceed Rs. 1 crore), 15% (if total income exceed Rs. 1 crore but does not exeed Rs. 2 crore), 25% (if total income exceeds Rs. 2 crore but does not exceed Rs. 5 crore) or 37% (if total income exceeds Rs. 5 crore), HEC : 4%]	-
Sec. 192A - Payment of taxable accumulated balance of provident fund	10
Sec. 193 - Interest on securities– a. interest on (a) debentures/securities for money issued by or on behalf of any local authority/statutory corporation, (b) listed debentures of a company [not being listed securities in demat form], (c) any securityof the Central or State Government [i.e. 8% Savings (taxable) Bonds, 2003 and 7.75% Savings (Taxable) Bonds, 2018 but not any other Government security]. b. any other interest on securities (including interest on non-listed debentures)	 10 10
Sec. 194 - Divided a. deemed dividend under section 2(22) (e) b. any other dividend	 Nil Nil
Sec. 194A - Interest other than interest on securities	10
Sec. 194B - Winnings from lottery or crossword puzzle or card game or other game of any sort	30
Sec. 194BB - Winnings from horse races	30
Sec. 194C - Payment or credit to a resident contractor/sub-contractor - a. payment/credit to an individual or a Hindu undivided family b. payment/credit to any person other than an individual or a Hindu undivided family	 1 2
Category A - When recipient is resident	
Sec. 194D - Insurance commission - if recipient is a resident (other than a company - if recipient is a domestic company	 5 10
Sec. 194 DA - Payment in respect of Life insurance policy [when exemption is not available under section 10 (10D)] - up to August 31, 2019 : 1% of amount payable - with effect September 1, 2019 : 5% of the amount of income comprised in payment	 1 5
Sec. 194EE - Payment in respect of deposits under National Savings Scheme, 1987	10
Sec. 194F - Payment on account of repurchase of units of MF or UTI	20
Sec. 194G - Commission on sale of lottery tickets	5
Sec. 194H - Commission or brokerage	5
Sec. 194-I - Rent - a. rent of plant and machinery b. rent of land or building or furniture or fitting.	 2 10
Sec. 194-IA - Payment/credit of consideration to a resident transferor for transfer of any immovable property (other than rural agricultural land)	1
Sec. 194-IB - Payment/credit of rent by an individual/HUF (if not subject to tax audit under section 44AB in the immediately preceding financial year)	5
Sec. 94-IC - Payment under joint development agreement to a resident individual/HUF (who transfers land/building)	10
Sec. 194J - Professional fees, technical fees, royalty or remumeration to a director - If payee is engaged only in the business of operation of call centre - Any other payment/credit	 2 10
Sec. 194LA - Payment of compensation on acquisition of certain immovable property	10
Sec. 194LBA(1) - Payment of the nature referred to in section 10(23FC) section 10(23FC)(a)/(23FCA) by business trust to resident unit holders	10
Sec. 194LBB - Payment in respect of units of investment fund specified in section 115 UB	10
Sec. 194 LBC(1) - Payment in respect of an investment in a securisation trust specified in clause (d) of the Explanation occurring after section 115TCA - if recipient is an individual or a Hindu undivided family - if recipient is any other person	 25 30
Sec. 194 M - Payment/ credit to a resident contractor or resident professional or payment/credit by way of commission/brokerage (applicable with effect from September 1, 2019)	5
Sec. 194N - Payment from one or more accounts to an account holder in cash by bank/ co-operative bank/post office in excess of Rs. 1 crore in the financial year (applicable with effect from September 1, 2019)	2

Table of Income Tax Rates

In case of Individual (Other than senior citizen)		In case of Senior Citizen	
Income Slab (Rs.)	**Tax Rate**	**Income Slab (Rs.)**	**Tax Rate**
0-2,50,000	**Nil**	**3,00,000**	**Nil**
2,50,000 - 5,00,000	**5%**	**3,00,000 -5,00,000**	**5%**
5,00,000 - 10,00,000	**20%**	**5,00,000 - 10,00,000**	**20%**
Above 10,00,000	**30%**	**Above 10,00,000**	**30%**

Scanned by CamScanner

C. L. 100 नी

INCOME TAX CALCULATION FOR THE FINANCIAL YEAR 2019-2020 ASSESSMENT YEAR 2020-2021

Name : ..... Designation ..... PAN.....

1. Income : Gross Salary for the year : 2019-2020 — Rs. .....
2. House Rent Allowance U/S 10(13-A) Other Exempted Allowance U/s 10(14) — Rs. .....
4. Gross Salary — Rs. .....
5. Less : Standard Deduction u/s 16(ia) Rs. 50,000/- — Rs. .....
6. Taxable Salary — Rs. .....
7. (a) Income From House-Property : (i) Self Occupied Nil, (ii) Rent Received — Rs. .....

(b)

Less	30% of rent	Interest on Housing Loan	House Tax	Total
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs. .....

Balance -/+ [7(a) & total of 7(b)] — Rs. .....

* Self Occupied-only interest on house loan up to maximum Rs. 30,000/- is admissible if house constructed or purchased before 1.4.99
* Interest on house loan in case of fully constructed house on or after 01.04.1999 deductible from income up to maximum Rs. 2,00,000/-

8. ..... TOTAL BALANCE -/+ (6&7) — Rs. .....
9. Any other Income ..... Rs. .....
10. Gross Income ..... Balance (8+9) — Rs. .....
11. Less : Deduction under Section 80 C, 80 CCC, 80 CCD(1)

(A) Maximum limit 1,50,000/- (Under section 80CCE) Excluding 80CCD(2) 80CCD(1B)

(a)	S.Ins.	Rs.	(j)	Interest accrued on NSC	Rs. .....
(b)	Life Insurance Premium	Rs.	(k)	Tution Fees (Max. for 2 child)	Rs. .....
(c)	N.S.C.	Rs.	(l)	Fixed Deposit in Bank for 5 years & above	Rs. .....
(d)	PPF	Rs.	(m)	Notified Bond of Nabard	Rs. .....
(e)	Notified Units of Mutual Funds or UTI	Rs.	(n)	Pension Plan premium (under section 80 CCC)	Rs. .....
(f)	G.P.F.	Rs.	(o)	Employee's contribution towards NPS u/s 80CCD(1) 10% of salary	Rs. .....
(g)	Gr. Ins.	Rs.			
(h)	ULIP	Rs.			
(i)	Re-Payment HBA	Rs.		Total (a) to (o)	Rs. .....

(B) Less Deduction U/s (80CCE) (80CCD(2) Govt. Contribution in NPS (Max. 10% of salary) Rs. .....

(C) Less Deduction u/s 80CCD(1B) Contribution in NPS by any individual upto Rs. 50000

12. Other Deduction :
    I. U/s 80D Payment to medical insurance premium for himself, spouse and dependant Children maximum Rs. 25000/- Additional For Parents 25000/-, In case Senior Citizen Rs. 50,000/- — Rs. .....
    2. U/s 80 DD medical treatment etc. of dependent handicapped person maximum Rs. 75,000/- (Rs. 125000/- in some cases as per disability Act 1995)
    3. U/s 80 DDB special deduction of Rs. 40,000 to the guardian of a patient suffering from cancer or Aids involving considerable expenditure on treatment or if expense incurred on dependent patient aged over 60 year's suffering from diseases specified by act then deduction will be Rs. 1,00,000/- — Rs. .....
    4. U/s 80 G Donation to charitable institution 50% and 100% (as per Deduction 80 G) of Actual Payment subject to maximum 10% of Gross Total Income — Rs. .....
    5. U/s 80 U Physically handicapped person or blind person maximum Rs. 75,000/- (Rs. 125000/- in some cases as per disability Act 1995)
    6. U/s 80 TTA interest from Saving Bank A/c upto Rs. 10000 — Rs. .....
    7. U/s 80 TTB : Interest from Fixed deposit/saving Bank A/c or any other Interest (Rs. 50000/- in case of Senior Citizen) — Rs. .....
    Total 12 (1 to 7) — Rs. .....
13. Total Deduction (11 + 12) — Rs. .....
14. Total Taxable Income (10 - 13) — Rs. .....
15. Total Taxable Income Rounded Off (to ten) — Rs. .....
16. (a) Income Tax on above income as per coloumn No. 15 (Refer Table Below) — Rs. .....
    Less : Rebate U/s 87A (Rs. 100% of Income Tax or Rs. 12500 whichever is less if total amount upto rs. 500000) — Rs. .....
    (b) Health and Education Cess 4% on Tax — Rs. .....
17. Less : Deduct Rebate U/s 89 — Rs. .....
18. Total Tax — Rs. .....

19.

Income Tax Deducted	Up to September 2019	Up to December 2019	Up to February 2020	T.D.S. Total	TOTAL
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs. .....

Income Tax Payable/Refundable Balance -/+ (18 & 19) — Rs. .....

Signature

Scanned by CamScanner